धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम का प्रकरण संख्या **28/2021**(GCMS: **2021/84) राज्य सरकार** जरिये थानाधिकारी पुलिस थाना, घमूड़वाली **बनाम कृष्ण कुमार पुत्र मंगतराम** जाति अरोड़ा निवासी गांव रिडमलसर तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

25 .07.2022

पत्रावली पेश हुई। अप्रार्थी कृष्ण कुमार की ओर से श्री विक्रम पूनिया एवं विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी पूर्व में लिखित बहस पेश कर चुके है। विभागीय प्रतिनिधि श्री सुरेश कुमार, प्रवर्तन अधिकारी ने आज दिनांक 25.07.2022 से जब्तशुदा वाहन ट्रक आरजे 05 जीए 4679 की अनुमानित बाजार मूल्य का पत्र प्रेषित किया, शामिल मिसल किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया तो पाया कि थानाधिकारी, पुलिस थाना, घमूड़वाली ने धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना की है कि दिनांक 14.05.2021 को करीब 01:22 पीएम पर सुरेन्द्र सिंह आरपीएस वृताधिकारी वृत श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर को जरिये दूरभाष श्री करतार सिह उनि थानाधिकारी पुलिस थाना घमूड़वाली ने सूचना दी कि थानाधिकारी मय श्री बलजीत सिंह सउनि, श्री जयपाल कानि 673, श्री राजेश कुमार कानि 1600 मय जीप सरकारी डीआर रायसिंह 1323 के थाना से रवाना होकर बींझबायला, घमूड़वाली, 11 ई ई ए, 31 आरबी, फरसेवाला, जीवनदेसर में गश्त करता हुआ रिडमलसर नजद सरकारी हॉस्पीटल पहुंचा तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि कृष्ण कुमार पुत्र मंगतराम जाति अरोड़ा, नजद भारत मॉडल स्कूल, रिडमलसर ने अपने घर के सामने ट्रक आरजे 05 जीए 4679 में पंजाब से डीजल के काफी ड्रम लेकर आया जो बेचने की फिराक में है, इतिला मुखबिर की तस्दीक हेतु एसएचओ मय हमराही स्टाफ के भारत मॉडल स्कूल के पास वक्त 12:20 पीएम पहुंचा तो मुखबिर के बताए अनुसार ट्रक आरजे 05 जीए 4679 खडा था जिसका डाला ... था उसके पास एक जीप खड़ी थी जिसका ड्राईवर पुलिस पार्टी व पुलिस ... को देखकर जीप ... भगाकर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

सामने की गली से लगा ले गया। ट्रक के पास एक जवान उम्र का लड़का खड़ा था जिससे नाम पता पूछा तो कृष्ण कुमार पुत्र मंगतराम जाति अरोडा उम्र 28 साल निवासी नं. 4 रिडमलसर वा उक्त ट्रक आरजे 05 जीए 4679 स्वयं का होना बताया। ट्रक को चैक करने हेतु स्वतंत्र गवाह तलब करने चाहे तो लॉकडाउन के कारण लोग घरो से बाहर नहीं आए जिस पर एसएचओ हमराही स्टाफ बलजीत सिंह सउनि व जयपाल कानि 673 के समक्ष ट्रम में चढकर देखा तो ट्रक की बॉडी में प्लास्टिक के विभिन्न रंगो के भरे ड्रम कुल 20 थे। जिसके ढक्कन खोलकर देखा व सूंघा तो डीजल होना पाया व **स्वयं कृष्ण कुमार ने डीजल होना व कुल डीजल 4000 लीटर होना बताया। पंजाब से सस्ते भाव में लाना व राजस्थान में विभिन्न ग्राहको को महंगे भाव में बेचने के लिए लाना बताया** व उक्त डीजल स्वंय व अपने ड्राईवर अमरीक सिंह निवासी 67 एलएनपी द्वारा पंजाब के पेट्रोल पम्प से लाना बताया तथा अमरीक का आज पुनः गाडी केन्टर लेकर पंजाब जाना बताया। जिस पर वृताधिकारी मय विजय कुमार कानि 2192 मय सरकारी गाडी डीआर संदीप कानि 1793 मय अनुसंधान बाक्स पर्सनल लेपटाप यूपीएस प्रिन्टर कम्प्यूटर काटा के रवाना होकर वक्त 03:20 पीएम पर थाना घमूड़वाली पहुंचा तो श्री करतार सिंह उनि थानाधिकारी पुलिस थाना घमूडवाली मय रामनिवास कानि 1085 के एक ट्रक व एक व्यक्ति को काबू किये हुये मिले। थाना मुलाजमान के द्वारा काबू किये गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो कृष्ण कुमर पुत्र मंगतराम जाति अरोड़ा उम्र 28 साल निवासी वार्ड नं. 04 रिड़मलसर पुलिस थाना घमूड़वाली जिला श्रीगंगानगर बताया। ट्रक में 20 ड्रम डीजल भरे होना था प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर डीजल भरा होना बताया। ट्रक का निरीक्षण किया जाना है जिस पर स्वतंत्र मौतबिर तलब करने चाहे तो लॉकडाउन के कारण कोई मौतबिर नहीं मिला जिस पर उपस्थित करतार सिंह उनि थानाधिकारी व रामनिवास, कानि 1085 को बतौर मौतबिर मूकर्र कर ट्रक का निरीक्षण किया गया तो ट्रक बरग लाल, आगे पीछे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

नम्बर प्लेट पर नम्बर आरजे 05 जीए 4679 लिखा है। ट्रक में देखा गया तो जिसमे 20 ड्रम प्लास्टिक के तरल पदार्थ से भरे हुये मिले। जिस पर ड्रमों के ढक्कन खोलकर वृताधिकारी ने सुंघा व मौतबिरान को सुंघाया तो सभी ने ड्रमों से भरे तरल पदार्थ में डीजल की गंध आनी पाई। जिस पर शख्स कृष्ण कुमार से डीजल परिवहन करने बाबत वैद्य लाईसेन्स/परमिट पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स/परमिट होना नहीं बताया। **शख्स कृष्ण कुमार द्वारा उक्त डीजल राजस्थान व पंजाब में डीजल का भावांतर होने के कारण पंजाब से लाना बताया।** इसप्रकार कृष्ण कुमार पुत्र मंगतराम **द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद का भण्डारण व विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है।** इसलिए उक्त ट्रक **नम्बर** आरजे 05 जीए 4679 **मय 20 ड्रम अवैध डीजल को राजसात करने की प्रार्थना की है।**

अप्रार्थी के विद्वान अधिवक्ता श्री विक्रम पूनिया ने अपनी लिखित बहस में कथन किया है कि प्रार्थी वाहन में किसी प्रकार का अवैध डीजल परिवहन नहीं कर रहा था बल्कि डीजल प्रार्थी कृष्ण कुमार के जानकारों का था और बिलशुदा परिवहन किया जा रहा था। **मौके पर डीजल के मूल बिल भी संबंधित जिला रसद अधिकारी को सौंप दिए थे जो कि प्रार्थी कृष्ण कुमार के जानकार काश्तकारों के थे** तथा घटना के वक्त लॉकडाउन होने की वजह से काश्तकारों द्वारा एक साथ डीजल क्रय किया [illegible] और संबंधित काश्तकारों द्वारा अपने–अपने डीजल के [illegible] [illegible] की जमाबंदियाँ भी प्रस्तुत कर दी परन्तु उसके बावजूद भी प्रार्थी पर कार्यवाही की गई है जो कि विधि विरूद्ध है तथा मूल बिलों एवं संबंधित काश्तकारों की जमाबंदियों से साबित होता है कि डीजल प्रार्थी द्वारा नहीं बेचा जा रहा था अपितु काश्तकारों

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

को कृषि भूमि में जुताई हेतु ट्रैक्टरों के लिए खरीद किया गया था एवं मौका पर संबंधित काश्तकारों द्वारा संबंधित अधिकारी के समक्ष शपथ पत्र भी प्रस्तुत कर दिए गए थे जिस आधार पर प्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही ड्रॉप किया किया जाना आवश्यक है।

उनका आगे कथन है कि प्रार्थी के कब्जे में जो डीजल होना बताया गया है वह **सुच्चा सिंह पुत्र कुशाल सिंह 600 लीटर, इन्द्राज पुत्र नत्थुराम 800 लीटर, अरविन्द पुत्र निहाल चन्द 400 लीटर, संदीप कुमार 800 लीटर, राधेश्याम 600 लीटर विनोद कुमार 800 लीटर** का था तथा अलग अलग काश्तकारों के द्वारा निर्धारित मात्रा में कब्जे में रखने से कम मात्रा में था इसलिए किसी प्रकार का अपराध नहीं बनता है। **संबंधित काश्तकारों के मूल बिलों की फोटो प्रति, जमाबन्दी प्रति तथा शपथ पत्रों की प्रति संलग्न है।** इसलिए प्रार्थी के विरूद्ध की गई कार्यवाही को ड्रॉप फरमाने तथा प्रार्थी के जब्तशुदा वाहन व डीजल को लौटाने की प्रार्थना की है।

इसके विपरीत विभागीय प्रतिनिधि ने लिखित बहस में कथन किया है कि दिनांक 14.05.2021 को सुरेन्द्र सिंह आरपीएस वृताधिकारी वृत श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर द्वारा डीजल के अवैध परिवहन व बेचान की गुप्त सूचना मिलने पर वाहन ट्रक संख्या आरजे 05 – जीए 4679 की जांच के लिए पहुंचे इस दौरान मौके पर वाहन मालिक श्री कृष्ण कुमार पुत्र मंगतराम जाति अरोड़ा नजद भारत मॉडल स्कूल रिडमलसर द्वारा वाहन अपने निवास के सामने खड़ा किया हुआ था तथा वह डीजल को बेचने की फिराक में थे।

उनका आगे कथन है कि मौके पर वाहन की तलाशी लेने पर वाहन में कुल 20 ड्रम रखे मिले जिसमें कुल 4000 लीटर डीजल बरामद करना बताया गया। कोविड लॉकडाउन के कारण मौके पर आमजन उपस्थित नहीं थे। इसी के साथ मौके पर उपस्थित पुलिस कॉनिस्टेबल आदि द्वारा सूंघने पर ड्रमों में रखा गया तरल डीजल होना तस्दीक किया गया। इसी के साथ ही मौके पर

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

स्वयं श्री कृष्ण कुमार व वाहन चालक अमरीक सिंह द्वारा डीजल पंजाब से खरीद करना व भावंतर के कारण यहां विक्रय करना स्वीकार किया गया।

उनका आगे कथन है कि दिनांक 14.05.2021 को डीजल जांच उपरांत अवैध डीजल परिवहन व बेचान के लिए जब्ती संबंधी कार्यवाही पुलिस विभाग द्वारा संपादित की गई है जबकि अप्रार्थी के प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में अंकन किया जा रहा है कि "प्रार्थी वाहन में किसी प्रकार का अवैध डीजल परिवहन नहीं कर रहा था बल्कि डीजल प्रार्थी कृष्ण कुमार के जानकारों का था और बिलशुदा परिवहन किया जा रहा था मौके पर डीजल के मूल बिल भी संबंधित जिला रसद अधिकारी को सौंप दिये थे।" इस प्रकार डीजल के बिल सौंपने संबंधित तथ्य झूठे व बाद मे गढ़े हुए प्रतीत होते है क्योंकि जब जिला रसद अधिकारी कार्यवाही मे शामिल नहं थे तो बिल सौपें किसको गये है। इसके साथ ही पुलिस कार्यवाही में भी किसी प्रकार के बिल सौंपने का जिक्र नहीं है जिससे यह जाहिर होता है कि अलग–अलग बिल संबंधी तथ्य इनके द्वारा बाद में राजसात की कार्यवाही से बचने के लिए तैयार किये गये है जो कि माननीय न्यायालय द्वारा अस्वीकार किये जाने योग्य है।

उनका आगे कथन है कि ऐसा कोई नियम नहीं है जिसके तहत यह किसी अन्य व्यक्ति को डीजल लाकर देवें और इनके द्वारा लाये गये डीजल की मात्रा 4000 लीटर थी जो कि 2500 लीटर की तय सीमा से अधिक थी। शपथ पत्र व बिल संबंधी के तथ्य बाद में प्रस्तुत किये गये है जो कि स्वीकार योग्य नही है। इस प्रकार अप्रार्थी कृष्ण कुमार द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम पदार्थ डीजल अवैध परिवहन, भण्डारण व विक्रय करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत [illegible] मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2 (आई) का स्पष्ट उल्लंघन है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

उनका आगे कथन है कि पुलिस विभाग की कार्यवाही में मौके पर एक ही वाहन ट्रक संख्या आरजे–05–जीए–4679 से 20 डमों में कुल 4000 लीटर डीजल बरामद किया गया था। मौके पर सुच्चा सिंह पुत्र कुशाल सिंह, इन्द्राज पुत्र नत्थूराम, अरविन्द पुत्र निहालचंद, संदीप कुमार, राधेश्याम, विनोद कुमार उपस्थित नहीं थे इसके साथ ही ऐसे कोई बिल भी प्रस्तुत नहीं किये गये। शपथ पत्र व जमाबंदिया भी राजसात की कार्यवाही से बचने के लिए बाद में तैयार कर प्रस्तुत की गई है, साथ ही इनके द्वारा कोई प्रार्थना पत्र भी माननीय न्यायालय को अब तक प्रस्तुत करके डीजल लौटाने संबंधी कोई मांग नहीं की गई है।

उनका आगे कथन है कि कृष्ण कुमार की ओर से राजसात की **कार्यवाही से बचने के लिए इस शपथ पत्र और जमाबंदी के तथ्य का सहारा लिया जा रहा है, यदि ऐसा कोई तथ्य था तो इनके द्वारा मौके पर प्रस्तुत किया जा सकता था। इसके साथ ही प्रकरण में केवल कृष्ण कुमार के विरूद्ध ही पुलिस थाना घमूड़वाली, श्रीगंगानगर में मुकद्मा संख्या 0059/2021 दर्ज आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के तहत दर्ज किया गया** है। इस प्रकार कृष्ण कुमार द्वारा बिना वैध अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम पदार्थ डीजल अवैध परिवहन, भण्डारन व विक्रय करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन है। अतः प्रकरण में कृष्ण कुमार द्वारा जब्तशुदा समस्त सामग्री को राजसात किया जावे।

उनका आगे कथन है कि उपरा जब्तशुदा 20 ड्रमों में भरा 4000 लीटर डीजल ट्रक संख्या आरजे–05–जीए–4679 को राजसात किया जाकर, वाहन राजसात की एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जावे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

मैने, विभागीय प्रतिनिधि एवं अप्रार्थी कृष्ण कुमार के अधिवक्ता श्री विक्रम पूनियां द्वारा प्रस्तुत लिखित बहस पर मनन किया एवं धारा 6ए के प्रार्थना पत्र उसके साथ प्रस्तुत अन्य संलग्न दस्तावेजों आदि का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया तो पाया कि दिनांक 14.05.2021 को करीब 01:22 पीएम पर सुरेन्द्र सिंह आरपीएस वृताधिकारी वृत श्रीकरणपुर जिला श्रीगंगानगर को जरिये दूरभाष श्री करतार सिह उनि थानाधिकारी पुलिस थाना घमूड़वाली ने सूचना दी कि थानाधिकारी मय श्री बलजीत सिंह सउनि, श्री जयपाल कानि 673, श्री राजेश कुमार कानि 1600 मय जीप सरकारी डीआर रायसिंह 1323 के थाना से रवाना होकर बींझबायला, घमूड़वाली, 11 ई ई ए 31 आरबी, फरसेवाला, जीवनदेसर में गश्त करता हुआ रिडमलसर नजद सरकारी हॉस्पीटल पहुंचा तो जरिये मुखबिर सूचना मिली कि कृष्ण कुमार पुत्र मंगतराम जाति अरोड़ा, नजद भारत मॉडल स्कूल, रिडमलसर ने अपने घर के सामने ट्रक आरजे 05 जीए 4679 में पंजाब से डीजल के काफी ड्रम लेकर आया जो बेचने की फिराक में है, इतिला मुखबिर की तस्दीक हेतु एसएचओ मय हमराही स्टाफ के भारत मॉडल स्कूल के पास वक्त 12:20 पीएम पर पहुंचा तो मुखबिर के बताए अनुसार ट्रक आरजे 05 जीए 4679 खडा था जिसका डाला बंद था जिसके पास एक जीप खड़ी थी जिसका ड्राईवर पुलिस गाडी व पुलिस पार्टी को देखकर जीप को भगाकर सामने की गली से लगा ले गया। ट्रक के पास एक जवान उम्र का लड़का खड़ा था जिससे नाम पता पूछा तो **कृष्ण कुमार पुत्र मंगतराम जाति अरोडा उम्र 28 साल निवासी नं. 4 रिड़मलसर व ट्रक [illegible] 05 जीए 4679 स्वयं का होना बताया।** ट्रक को चैक करने हे[illegible] स्वतंत्र [illegible] तलब करने चाहे तो लॉक डाउन के कारण ल[illegible] घरों से बाहर [illegible] आए जिस पर एसएचओ हमराही स्टाफ बलजीत सिंह सउनि व जयप[illegible] कानि 673 के समक्ष ट्रम में चढकर देखा तो ट्रक की बॉडी में प्लास्टिक के विभिन्न रंगो के भरे ड्रम कुल 20 थे। जिसके ढक्कन खोलकर देखा व सूंघा तो डीजल होना पाया व **स्वयं**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

कृष्ण कुमार ने डीजल होना व कुल डीजल 4000 लीटर होना बताया। पंजाब से सस्ते भाव में लाना व राजस्थान में विभिन्न ग्राहको को महंगे भाव में बेचने के लिए लाना बताया व उक्त डीजल स्वंय व अपने ड्राईवर अमरीक सिंह निवासी 67 एलएनपी द्वारा पंजाब के पेट्रोल पम्प से लाना बताया तथा अमरीक का आज पुनः गाडी केन्टर लेकर पंजाब जाना बताया। जिस पर वृताधिकारी मय विजय कुमार कानि 2192 मय सरकारी गाडी डीआर संदीप कानि 1793 मय अनुसंधान बाक्स पर्सनल लेपटाप यूपीएस प्रिन्टर कम्प्यूटर काटा के रवाना होकर वक्त 03:20 पीएम पर थाना घमूड़वाली पहुंचा तो श्री करतार सिंह उनि थानाधिकारी पुलिस थाना घमूडवाली मय रामनिवास कानि 1085 के एक ट्रक व एक व्यक्ति को काबू किये हुये मिले। थाना मुलाजमान के द्वारा काबू किये गये व्यक्ति से नाम पता पूछा तो कृष्ण कुमर पुत्र मंगतराम जाति अरोड़ा उम्र 28 साल निवासी वार्ड नं. 04 रिडमलसर पुलिस थाना घमूड़वाली जिला श्रीगंगानगर बताया। **ट्रक में 20 ड्रम डीजल भरे होने तथा प्रत्येक ड्रम में 200 लीटर डीजल भरा होना बताया।** ट्रक का निरीक्षण किया जाना है जिस पर स्वतंत्र मौतबिर तलब करने चाहे तो लॉकडाउन के कारण कोई मौतबिर नहीं मिला जिस पर उपस्थित करतार सिंह उनि थानाधिकारी व रामनिवास, कानि 1085 को बतौर मौतबिर मूकर्र कर ट्रक का निरीक्षण किया गया तो ट्रक बरग लाल, आगे पीछे नम्बर प्लेट पर नम्बर आरजे 05 जीए 4679 लिखा है। ट्रक में देखा गया तो जिसमे 20 ड्रम प्लास्टिक के तरल पदार्थ से भरे हुये मिले। जिस पर ड्रमों के ढक्कन खोलकर मन वृताधिकारी ने स्वयं व मौतबिरान को सुंघाया तो सभी ने ड्रमों से भरे तरल पदार्थ में डीजल की गंध आना पाई। जिस पर **शख्स कृष्ण कुमार से डीजल परिवहन करने बाबत वैध लाईसेन्स/परमिट पूछा तो अपने पास कोई लाईसेन्स/परमिट होना नहीं बताया। शख्स कृष्ण कुमार द्वारा उक्त डीजल राजस्थान व पंजाब में डीजल का भावांतर होने के कारण पंजाब से लाना बताया।** इस प्रकार कृष्ण कुमार पुत्र मंगतराम **द्वारा पेट्रोलियम उत्पाद का**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

भण्डारण व विक्रय कर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत जारी पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन किया है। इसलिए उक्त ट्रक नम्बर आरजे 05 जीए 4679 मय 20 ड्रम अवैध डीजल को राजसात करने की प्रार्थना की है।

आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 के अनुसार इस तथ्य का भार अप्रार्थी कृष्ण कुमार पुत्र मंगत राम पर ही था कि उसके द्धारा आवश्यक वस्तु अधिनियम के तहत बने किसी भी अधिनियम, नियम, आदेश, अध्यादेश तथा अधिसूचना की अवहेलना नही की हैं। आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 14 निम्न प्रकार से है:–

> "जहां कोई व्यक्ति धारा 3 के अधीन किये गये किसी ऐसे आदेश का उल्लंघन करने के लिए अभियोजित किया जाता है उसे विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना अथवा किसी अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज के बिना कोई कार्य करने से या किसी चीज को कब्जे में रखने से प्रतिषिद्ध करता है, वहां यह साबित करने का भार कि उसके पास ऐसा प्राधिकार, अनुज्ञापत्र, अनुज्ञप्ति या अन्य दस्तावेज है उसी पर होगा।"

पत्रावली के अवलोकन से पाया कि बिल नं. 10047 – राधेशयाम के नाम 600 लीटर डीजल, बिल नं 10046–विनोद कुमार के नाम 800 लीटर, बिल नं 10048–अरविन्द कुमार के नाम 400 लीटर, बिल नं 10043–संदीप कुमार के नाम 800 लीटर, बिल नं 10044–सुभाष के नाम 800 लीटर एवं बिल नं 10045–इन्द्राज पूनिया के नाम 800 लीटर के नाम से उक्त मूल बिल पेश किये गये है जो कि पत्रावली में पक्षकार नहीं है और न ही उनके द्वारा उक्त जब्तशुदा डीजल बिलों की मात्रा अनुसार डीजल वापिस प्राप्त करने हेतु अपने

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

हस्ताक्षर से कोई आवेदन पत्र आज दिनांक तक इस न्यायालय में प्रस्तुत हुआ है और अप्रार्थी के अधिवक्ता ने अपनी लिखित बहस में मौके पर मूल बिल भी संबंधित जिला रसद अधिकारी को सौंपना अंकित किया गया है जबकि अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उक्त मूल बिल दिनांक 11.05.2022 को फार्म नं. 3 के साथ इस न्यायालय में प्रस्तुत किये है। जिससे यह साबित होता है कि जब्तशुदा समस्त डीजल अप्रार्थी कृष्ण कुमार का ही था जो वह अवैध रूप से पंजाब से परिवहन कर लाया था और उक्त एक बिल कृष्ण कुमार कुमार पुत्र मंगत राम के नाम से जानबूझकर कानूनी प्रावधानों को विफल करने के लिए ही प्राप्त किये है।

पत्रावली में उपलब्ध अप्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा जो जमाबांदी पेश की गई है वे तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर की है। अप्रार्थी कृष्ण कुमार तहसील पदमपुर का निवासी हैं। इससे स्पष्ट है कि कृषि कार्य के प्रयोजनार्थ डीजल बताकर हमदर्दी प्राप्त करने का प्रयास है। **अगर वास्तव में डीजल उक्त कृष्ण कुमार के साथ राधेश्याम, विनोद कुमार, अरविन्द कुमार, संदीप कुमार, सुच्चा सिंह एवं इन्द्राज पूनिया का होता तो वे भी आवश्य की डीजल वापिस प्राप्त करने हेतु अपना स्वयं का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करता, किन्तु ऐसा नहीं किया है। जिससे स्पष्ट है कि अप्रार्थी कृष्ण कुमार के नाम से फर्जी बिल कानूनी प्रावधानों को विफल करने हेतु पेश किया हैं।** इस प्रकार से न्यायलाय के समक्ष गलत तथ्य पेश करने वाले व्यक्ति किसी प्रकार से राहत प्राप्त नहीं कर सकते।

इस प्रकार कृष्ण कुमार के कब्जे से अधिनियम में निर्धारित सीमा 2500 लीटर डीजल अधिक डीजल अर्थात 4000 लीटर डीजल प्राप्त हुआ है। **साथ ही कृषक होने के कारण उक्त अधिनियम में कोई छूट का प्रावधान भी नहीं है।** चूंकि कृष्ण कुमार के पास उक्त मात्रा में डीजल परिवहन करने व कब्जे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

रखने का कोई वैद्य अनुज्ञा पत्र भी नही है। इस प्रकार कृष्ण कुमार द्वारा बिना वैद्य अनुज्ञप्ति पेट्रोलियम पदार्थ डीजल अवैध परिवहन, भण्डारन व विक्रय करना आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) का स्पष्ट उल्लंघन है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के सैक्शन 3 के तहत जारी मोटर स्प्रिट और उच्च वेग डीजल (प्रदाय और वितरण का विनियमन और अनाचार निवारण) आदेश 2005 के क्लॉज 2(क्यू)(आर), 3(4)(6), 4 तथा पेट्रोलियम उत्पाद (उत्पादन, भण्डारण और प्रदाय का रखरखाव) आदेश, 1999 के क्लॉज 2(आई) की अवेहलना के कारण **जब्तशुदा** 4000 लीटर डीजल मय 20 ड्रम **एवं एक ट्रक संख्या आरजे 05 जीए 4679 भी राजसात किये जाते है।**

चूंकि उक्त जब्तशुदा वाहन डीजल के अवैध कारोबार में लिप्त पाया गया है इसलिए माननीय उच्चतम न्यायालय के **न्यायिक दृष्टान्त कलक्टर गंजम व अन्य बनाम रमेश चन्द्र पांधी 2009 डीएनजे (एससी) पेज 340 के अनुसार वाहन राजसात** करने की दशा में वाहन के एवज में वाहन के बाजार मूल्य तक जुर्माना लगाया जा सकता है। चूंकि कृष्ण कुमार के वाहन संख्या **आरजे 05 जीए 4679 का अनुमानित बाजार भाव 3.50 लाख से 4.00 लाख रूपये है। इसलिए वाहन पर 3.20 लाख रुपये जुर्माना आरोपित किया जाता है और यदि वाहन स्वामी उक्त जुर्माना राशि जमा करा देवें तो थानाधिकारी, पुलिस थाना, घमूड़वाली उक्त वाहन को नियमानुसार वाहन स्वामी को सुर्पुद कर देवें अन्यथा नियमानुसार वाहनों को विक्रय किया जाकर विक्रय राशि स्थाई रूप से राजकोष में जमा करवायें।**

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलैक्टर
श्रीगंगानगर

चूंकि पूर्व में माननीय उच्चतम न्यायालय के न्यायिक (1990)2 दृष्टांत **Shambu Dyal Aggarwal Versus State of Bangarl & Anr. Page 665, State of Bihar & Anr. versus Arvini Kumar & Anr. 2012 Cr. L.R. (SC)(726) and - Madras High Court CRIMES 1992(1) K.P. Francis V State by Inspector of Police and Page 56** में दिये गये मार्गदर्शन एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 6ए(2)(i) के प्रावधानों के अन्तर्गत जब्त शुदा उक्त 4000 लीटर डीजल के अन्तरिम निस्तारण करने के आदेश दिये गये थे, अब उक्त राजसात किये गये 4000 लीटर डीजल की विक्रय राशि को विक्रय कर, राशि स्थाई रूप से राज्य पक्ष में राजकोष में जमा करवाने के लिए थानाधिकारी, पुलिस थाना, घमूड़वाली को आदेश दिये जाते है।

चूंकि धारा 6ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की कार्रवाई एवं राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत वैट सम्बन्धी कार्रवाई अलग–अलग है। 6ए की कार्रवाई के लिए निम्नहस्ताक्षरकर्त्ता सक्षम है। राजस्थान वैट अधिनियम 2003 के अन्तर्गत कार्रवाई करने के लिए सम्बन्धित वाणिज्य कर विभाग ही सक्षम है।

चूंकि उक्त प्रकरण में 4000 लीटर डीजल को राजसात करने के आदेश दिये गये है जबकि अप्रार्थी द्वारा 4000 लीटर डीजल के बिल नं. 10047, 10046, 10048, 10043, 10044 एवं 10045 (GSTIN: 03AAQFV9920L1ZJ) M/s Adhoc V... ...hera Filling Station, Gumjal (Punjab) के है, इसलिए वाणिज्य कर विभाग उक्त बिल की सत्यता की जांच करें और वाणिज्य कर विभाग द्वारा सरकार के कोई वैट सम्बन्धी कार्यवाही हो तो, वह अपने स्तर पर करें। इस प्रकरण में उक्त वैट सम्बन्धी कार्रवाई, को इस प्रकरण से अलग किया जाकर, जारी रखी जावे

Signature Not Verified
Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

तथ्या की गई कार्यवाही से अद्योहस्ताक्षरकर्त्ता को भी अवगत करवावें। इस आदेश की प्रति **वाणिज्य कर अधिकारी, सहायक वाणिज्य कर अधिकारी,** घट द्वितीय प्रतिकरावचंन, वाणिज्य कर, श्रीगंगानगर, **जिला रसद अधिकारी,** श्रीगंगानगर एवं **थानाधिकारी, पुलिस थाना घमूड़वाली** को दी जावे। पत्रावली बाद तरतीब तक्मील दाखि़ल दफ्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 25.07.20222 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(रूक्मणि रियार सिहाग)
जिला कलक्टर
श्रीगंगानगर

जिला कलेक्टर
श्रीगंगानगर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rukmani Riar
Date: 2022.08.03 12:42:10 IST
Reason: SelfAttested